प्रेस विज्ञप्ति

18/2/2026

सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने की 39.01 लाख रुपये की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने निवेशकों को धोखा देने से संबंधित मामले में सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक स्वाति रहीम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17/2/2026 को 39.01 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

केरल के त्रिशूर सिटी ईस्ट पुलिस स्टेशन द्वारा स्वाति रहीम और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई चार एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि स्वाति रहीम ने मेसर्स सेव बॉक्स कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक के रूप में, आकर्षक रिटर्न, कंपनी के शेयर जारी करने, साझेदारी या ऑनलाइन बोली आवेदन और संबंधित उद्यमों में फ्रेंचाइजी के झूठे वादे करके कई निवेशकों को कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे धन का गबन हुआ।

भारत की पहली बिडिंग एप्लीकेशन के रूप में खुद को प्रचारित करने वाली और बाद में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से जुड़ने वाली इस कंपनी ने जनता से निवेश तो जुटाया, लेकिन अपने वादों को पूरा करने में विफल रही। इसके परिणामस्वरूप 2022 के अंत तक इसका संचालन बंद हो गया और इसके खिलाफ कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं। जांच में पता चला कि धोखाधड़ी के माध्यम से लगभग 39.01 लाख रुपये (चार विशिष्ट शिकायतकर्ताओं से आंशिक रिफंड के बाद) की आपराधिक आय अर्जित की गई थी, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था, जिनमें सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में हुए नुकसान, व्यक्तिगत खर्च और अन्य उपयोग शामिल हैं।

अतः, ईडी ने 17.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत केरल में जयसूर्या वी एम (मलयालम फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता) द्वारा प्राप्त 39,01,000/- रुपये (अपराध से प्राप्त राशि के समतुल्य मूल्य) की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है।

आगे की जांच जारी है।